Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 34–2021/Ext.] चण्डीगढ़, वीरवार, दिनांक 4 मार्च, 2021
(13 फाल्गुन, 1942 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग I	**अधिनियम**	
	कुछ नहीं।	
भाग II	**अध्यादेश**	
	कुछ नहीं।	
भाग III	**प्रत्यायोजित विधान**	
	1. अधिसूचना संख्या का०आ० 9/के०अ० 21/2019/धा० 8/2021 दिनांक 04 मार्च, 2021– हरियाणा राज्य में प्रत्येक जिले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–द्वितीय के न्यायालयों को अपनी–अपनी क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर अपराधों के विचारण के लिए पदाभिहित न्यायालयों के रूप में गठित करने बारे।	191—192
	2. अधिसूचना संख्या का०आ० 10/के०अ० 5/1938/धा० 9/2021 दिनांक 04 मार्च, 2021– अनुसूची के विनिर्दिष्ट क्षेत्र को, जिसमें दिनांक 26 फरवरी, 2021 से दिनांक 25 फरवरी, 2023 केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा खुले क्षेत्र में गोला चलाने तथा तोप दागने के अभ्यास करने बारे।	193—194
	(प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)	
भाग IV	**शुद्धि–पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन**	
	कुछ नहीं।	

भाग–III

हरियाणा सरकार

न्याय प्रशासन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 4 मार्च, 2021

संख्या का०आ० 9/के०अ० 21/2019/धा० 8/2021.— अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम, 2019 (2019 का केन्द्रीय अधिनियम 21) की धारा 8 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा मुख्य न्यायाधीश, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय की सहमति से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा राज्य में प्रत्येक जिले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–द्वितीय के न्यायालयों को अपनी–अपनी क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर उक्त अधिनियम के अधीन अपराधों के विचारण के लिए पदाभिहित न्यायालयों के रूप में गठित करते हैं।

राजीव अरोड़ा
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
न्याय प्रशासन विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

ADMINISTRATION OF JUSTICE DEPARTMENT

Notification

The 4th March, 2021

No. S.O. 9/C.A. 21/2019/S.8/2021.— In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 8 of the Banning of Unregulated Deposit Schemes Act, 2019 (Central Act no. 21 of 2019), the Governor of Haryana with the concurrence of the Chief Justice of the Punjab and Haryana High Court hereby constitutes the courts of District and Sessions Judge and of 2nd Additional District and Sessions Judge in each district in the State of Haryana to be Designated Courts, to try offences under the said Act within their respective territorial jurisdiction.

RAJEEV ARORA,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Administration of Justice Department.

9098—L.R.—H.G.P., Pkl.